संख्या-534/2018/544/22-2-2018-17(160)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री बुल्ली यादव, निवासी जनपद-चित्रकूट की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15023/प्रोबेशन-3/ (एम-06-04-2018) दिनांक-16-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 16-04-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामनरेश पुत्र श्री बुल्ली यादव, निवासी-डाडी का पुरवा मजरे रूकमा खुर्द, थाना-बाहिलपुरवा, जनपद-चित्रकूट का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 23-05-1989 को समय लगभग 06:00 बजे सायंकाल में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सिंधी ऊर्फ शिवमंगल पुत्र कामता यादव की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कर्वी के आदेश दिनांक 24.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.1996 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2018 तक 21 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 23-05-1989 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सिंधी ऊर्फ शिवमंगल पुत्र कामता यादव की कट्टे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री बुल्ली यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमि0 रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या-26933/2017 प्यारे लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.03.2018 से आच्छादित है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामनरेश (बन्दी संख्या-4963/98) पुत्र श्री बुल्ली यादव, निवासी जनपद-चित्रकूट के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-534/2018/544(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद चित्रकूट।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-534/2018/544/22-2-2018-17(160)/2012
दिनांक 28 जून, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनरेश (बन्दी संख्या-4963/98) पुत्र श्री बुल्ली यादव, निवासी-डाडी का पुरवा मजरे रूकमा खुर्द, थाना-बाहिलपुरवा, जनपद-चित्रकूट का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 23-05-1989 को समय लगभग 06:00 बजे सायंकाल में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सिंधी ऊर्फ शिवमंगल पुत्र कामता यादव की कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कर्वी के आदेश दिनांक 24.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.1996 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2018 तक 21 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 23-05-1989 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सिंधी ऊर्फ शिवमंगल पुत्र कामता यादव की कट्टे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 43 वर्ष लगभग है तथा अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामनरेश पुत्र श्री बुल्ली यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in